न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 13/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/30

Sushil Kumar s/o Late Karam Chand (Member RTI Activist-Federation Punjab Chandigarh) Village Dadwan Post Office Dhariwal District Gurdaspur(Pb) PIN-143519

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायसिंहनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 22.04.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया।

तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के द्वारा पत्रांक/रीडर/2024/1145 दिनांक 01.04.2024 के द्वारा जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक/विविध/24/28 दिनांक 14.02.2024 को सूचना प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई थी।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गयी थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रायसिंहनगर के अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गयी थी। तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्र के साथ प्रस्तुत पत्रांक 28 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुए अपीलार्थी को अवगत करवाया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थीया खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:18:39 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)